राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.1(01)स्था/सिविल लिस्ट/आकाशि/2022/392 दिनॉकः 02 मई 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– महाविद्यालय शिक्षा सेवा एवं राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों की सिविल लिस्ट निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– राज्य सरकार का अ.शा.पत्रांक प.1(31)शिक्षा/ग्रुप–3/2016 दिनांक 25.02.2022 एवं विभाग का पत्रांक 383 दिनांक 25.04.2022, 1459 दिनांक 29.04.2022

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य सरकार द्वारा चाही गई सिविल लिस्ट के सम्बन्ध में सूचना को स्प्रेडशीट **"CIVIL LIST 2022"** जो आपके महाविद्यालय की ईमेल पर भेजी गई थी। उक्त सूचना दिनांक 02.05.2022 को सांय 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से भरी जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त कठोर निर्देशो के बावजूद कुछ महाविद्यालयों ने समस्त कॉलमो में सूचना नहीं भरी है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा कोई भी सूचना नहीं भरी गई है। जांच पश्चात यह भी पाया गया कि कुछ महाविद्यालयों ने कुछ कॉलम में गलत सूचना अंकित की हैं।

चाही गई सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जानी है अतः समस्त कॉलमों में सही सूचना दर्ज कर प्रेषित किये जाने का दायित्व प्राचार्य का है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होगें।

स्प्रेडशीट को दिनांक 04.05.2022 को लॉक की जायेगी। उसके पश्चात कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना दिनांक 04.05.2022 को सांय 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से स्प्रेडशीट में भरा जाना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी इसलिये इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें

02/05/2022

(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि :– वेबसाइट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें

02/05/2022

(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)

F:\HRD - Posting 01-04-2022\Important Files 1\Orders\Civil List Letter.doc